PUNE RESEARCH TIMES ISSN 2456-0960
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY STUDIES VOL 7, ISSUE I

"यौन हिंसा और महिलाओं के प्रति अपराध"

डॉ. ठक्कर हर्षदकुमार आर.
असिस्टंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
सी यु शाह आर्टस् कॉलेज लालदरवाजा
अहमदाबाद गुजरात भारत

स्त्रियों के विरुद्ध यौन हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है । बलात्कार के (सरकारी) आँकड़े पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है, क्योंकि बलात्कार की सभी दुर्घटनाएँ आँकड़ों तक पहुँचती ही नहीं । फिर भी जो आँकड़े उपलब्ध हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं । राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट (1996) के अनुसार देशभर में 1996 में 14849 बलात्कार हुए, जबकि 1990 में यह संख्या 10068 थी । यानि 1990 के मुकाबले 1996 में 47.5 प्रतिशत अधिक बलात्कार । यह भी कहा जा रहा है कि अपराधों को रिपोटिंग बढ़ रही है । कुछ संवेदनशील विद्वानों का मत है, "अपराधों की बढ़ोतरी को जनसंख्या को अनुपात में देखें तो अपराध कहीं बढ़ रहे हैं ?" एक और तर्क (कुतर्क) यह भी दिया जाता है कि कुल अपराधों की तुलना में, स्त्री के प्रति अपराध का प्रतिशत तो सिर्फ 6.8 प्रतिशत ही है ।

1996 में हुए 14849 बलात्कारों में से 8281 (55.76 प्रतिशत) सोलह से तीस वर्ष की महिलाओं के साथ और 3475 (23.4 प्रतिशत) दस से सोलह वर्ष की किशोरियों के साथ हुए । दोनों को जमा करें ले मालूम होगा कि 79.16 प्रतिशत बलात्कार की शिकार स्त्रियों दस से तीस वर्ष की थीं । तीस वर्ष से अधिक स्त्रियों के साथ हुए बलात्कारों की संख्या 2485 (16.7 प्रतिशत) और दस वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के अपराध 608 (4.1 प्रतिशत) है । संक्षेप में, 80 प्रतिशत बलात्कार दस से तीस वर्ष की महिलाओं के

साथ हुए और 16 प्रतिशत तीस वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के साथ । हालांकि प्रतिशत की भाषा में दस वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ हुए बलात्कार लगभग 4 प्रतिशत ही हैं, लेकिन यह लगातार बढ़ रहा है । इसलिए गम्भीर चिन्ता का विषय है । बच्चियों से बढ़ते बलात्कारों को अधिक गम्भीर कहने का मतलब यह नहीं है कि शेष बलात्कारों को गम्भीर अपराध न माना जाए । 1996 में दस वर्ष के कम उम्र की लड़कियों के साथ हुए बलात्कार का आँकड़ा 1990 के 394 से बढ़कर 608 हो गया है । मतलब 54.3 प्रतिशत अधिक बलात्कार । पिछले सात सालों में जहाँ 4 प्रतिशत बलात्कार सोलह से कम उम्र की लड़कियों के साथ बढ़े हैं, वहाँ सोलह से अधिक उम्र की स्त्रियों के साथ हुए बलात्कारों में 4 प्रतिशत की कमी हुई है । यह चार प्रतिशत का परिवर्तन, बेहद महत्त्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत देता है । राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में बलात्कार के मामले 1999 में 15468 से ब ढ़कर 2000 में 16496 हो गया है । यानि 6.6 फीसदी अधिक ।

इस बदलाव के सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों को रेखांकित करने के लिए अपराध और संचार माध्यमों की भूमिका को भी देखना पड़ेगा । यह मात्र संयोग नहीं है कि जैसे-जैसे अश्लील यौन साहित्य, फिल्म, वीडियों वगैरह बढ़े हैं, वैसे-वैसे यौन अपराध भी बढ़ते गए हैं । संचार माध्यमों में 'सैक्स और हिंसा' का प्रदर्शन, समाज में यौन अपराधों के बढ़ने में उत्प्रेरक का काम करता है एवं कर रहा है । बड़ी उम्र की लड़कियाँ या स्त्रियों के विरोध-प्रतिरोध और शिकायत से बचने के लिए सोलह वर्ष से कम उम्र की अबोध बच्चियों से बलात्कार के अपराध बढ़े हैं । इन्हें बहलाना, फुसलाना या काबू करना अपेक्षाकृत आसान है । इसका कारण 'अक्षत योनि' की आदिम आकांक्षा भी है और विक्षिप्त यौन कुण्ठाएँ भी । इसके अलावा किशोर उम्र के लड़कों में, कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन अपराध की प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ रही है । आश्चर्यजनक है कि स्त्री के विरुद्ध हिंसा और यौन हिंसा में देश की राजधानी दिल्ली सबसे आगे है । अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ सबसे अधिक बलात्कार उत्तर प्रदेश में और जनजाति की महिलाओं के साथ सबसे अधिक बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं । अनुसूचित और जनजातियों पर हिंसक अपराधों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सबसे आगे हैं । और यह मात्र सहयोग नहीं कि इन प्रदेशों में 'हिन्दुत्ववादी' भारतीय जनता पार्टी का शासन है या रहा है ।

उल्लेखनीय है कि जैसे-जैसे नारी चेतना, शिक्षा, जागरकता और मुक्ति के स्वर पहले से अधिक मुखर होकर सामने आए है, वैसे-वैसे स्त्री के विरुद्ध हिंसा (यौन हिंसा) बढी हैं । विशेषकर महानगरों में स्त्रियों द्वारा जितना विरोध प्रतिरोध बढ़ रहा है, उससे अधिक यौन अपराध बढ़ रहे हैं । अपराधियों को सुधारवादी-उदारवादी न्याय नीति के अन्तर्गत, कम सजा देने से 'न्याय का लक्ष्य' भले ही पूरा हो जाए, मगर इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा ही मिलता है । दण्ड भय ही न रहे तो अपराध कैसे कम (समाप्त) होंगे ? गृहमन्त्री द्वारा बलात्कारियों को मृयु-दण्ड देने की 'हवाई घोषणाओं' से क्या होगा ? विशेषकर, जब कानूनों में इतने 'लूपहोल्स' और गहरे मौजूद हैं । ऊपर से कानून व्यवस्था के भ्रष्ट रखवालों के रहते, क्या उम्मीद की जा सकती है ? आधुनिक समय में शहेरी करण की वजह से बड़े शहेरो में जैसे की दिल्ली, हरीयाणा, उत्तरप्रदेश, गुजरात के महानगरोमें आये दिन बलात्कार की घटनाए होती रहती है । दर्ज होनेवाली सिकायत मे 60 प्रतिशत बढोत्तरी हुइ है ।

कानून की भाषाः

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 के अनुसार बलात्कार के लिए 'लिंगच्छेदन' (पैनीट्रेशन) अनिवार्य शर्त है । किसी भी अन्य वस्तु या यन्त्र से यौन शौषण या उत्पीड़न को बलात्कार का अपराध नहीं माना जाता । स्त्री द्वारा सहमति की उम्र सोलह वर्ष तय की गई है । सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सहवास बलात्कार होगा, भले ही उसकी सहमति हो या न हो । लेकिन इस प्रावधान में अपवाद यह है कि किसी भी पुरुष द्वारा पन्द्रह वर्ष से बड़ी उम्र की पत्नी के साथ सहवास को बलात्कार नहीं माना जाएगा । हालांकि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के अनुसार विवाह के समय दुल्हन की उम्र अट्ठारह साल से अधिक होनी चाहिए । स्त्री द्वारा सहवास के लिए सहमति की उम्र सोलह साल और विवाह के लिए अट्ठारह साल रखी गई है । लेकिन पुरुष (पति) द्वारा सहवास (बलात्कार) के लिए लड़की की उम्र सीमा पन्द्रह साल काफी है । यह नहीं, अगर पत्नी की उम्र बारह साल से अधिक और पन्द्रह साल से कम हो तो धारा 376 के अनुसार पति को सजा में 'विशेष छूट' मिलेगी । दो साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं । जबकि अन्य बलात्कार के मामलों में यह सजा कम से कम दस साल कैद और अधिकतम उम्रकैद निर्धारित की गई है । आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता के

अनुसार बारह वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक की पत्नी के साथ बलात्कार संज्ञेय अपराध नहीं और जमानत योग्य भी होगा । मतलब, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट से वारण्ट लिए, पति को गिरफ्तार नहीं कर सकती । और पति होने के 'विशेषाधिकार' स्वरूप जमानत पर छोड़ना पडेगा । पन्द्रह साल से कम उम्र की पत्नी, बलात्कार की शिकायत भी सिर्फ एक साल के भीतर ही कर सकती है । उसके बाद की गई शिकायत को सुनने का किसी भी अदालत को कोई अधिकार नहीं, जबकि अन्य मामलों में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है ।

सर्वोच्च न्यायालय तक कई बार कह चुका है कि बाल विवाह भले ही दण्डनीय अपराध हो, लेकिन विवाह गैर-कानूनी या रद्द नहीं माना जाएगा । हिन्दू संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 (सी) के अनुसार पति अपनी पत्नी का प्राकृतिक संरक्षक है, भले ही दोनों नाबालिग हो । विवाह का पंजीकरण कानून अनिवार्य है नहीं, इसलिए कैसे रुकेंगे बाल विवाह ? और ऐसे कानूनी प्रावधानों से स्त्री के विरुद्ध यौन हिंसा पर कैसे काबू पाया जा सकता है ?

स्पष्ट है कि पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुष की काम-पिपासा के लिए विवाह संस्था से लेकर वेश्यावृत्ति (देवदासी, जोगिन वगैरह) और व्यभिचार के सभी दरवाजे खुले छोड़ दिये गये हैं । पुरुष द्वारा व्यभिचार या बलात्कार की शिकार अधिकांश लड़कियों को अन्ततः वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में ही शरण लेनी पड़ती है या पड़ेगी । वेश्यावृत्ति का व्यवसाय मूल रूप से पुरुषों के ही हित पोषित करता है, इसलिए भी नाबालिग लड़कियों का अपहरण, बलात्कार लगातार बढ़ रहा है । भारत में इस समय लगभग तीस लाख महिलाएँ वेश्यावृत्ति करने को विवश हैं, जिसमें (सरकारी आँकड़ो और मानव-संसाधन विकास मन्त्री महोदय के राज्यसभा में बयानानुसार) लगभग पन्द्रह प्रतिशत वेश्याओं की उम्र पन्द्रह से कम है । इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि करीब पाँच लाख नाबालिग लड़कियों के साथ रोज बलात्कार होता या हो रहा है । क्योंकि आपके ही कानूनानुसार सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सहवास बलात्कार है, भले ही उसकी सहमति हो या न हो ।

यौन हिंसा की शिकार निर्धन, अशिक्षित, आम औरत नहीं जानती - न्याय की प्रथम अवधारणा है कि जजब तक अपराध सन्देह से परे तक सिद्ध न हो, अभियुक्त को निर्दोष ही

माना जाएगा । वरना अभियुक्त को बाइज्जत बरी करना विवशता है । अदालत को थोड़ा-सा भी सन्देह हुआ तो 'सन्देह का लाभ' अभियुक्त को ही मिलेगा । सन्देह से परे तक अपराध सिद्ध होने के बावजूद उम्र, समय, स्थितियाँ (सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक....), परिस्थितियाँ वगैरह.... वगैरह के आधार पर, अभियुक्त की सजा कम भी की जा सकती है । न्याय के सुधारवादी, उदारवादी, मानवीय द्रष्टिकोण से रचे, सारे नये शास्त्रों की व्याख्या का फायदा अभियुक्त को ही होता है या होता रहा है । न्याय की एक और उल्लेखनीय अवधारणा यह भी है कि भले ही हजारों दोषी व्यक्ति छूट जाएँ, मगर एक भी निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए । ऐसे में उसे यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि 'दुर्लभतम में दुर्लभ' मामला हुआ तो बलात्कारी को फाँसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता । न्याय में देरी का मतलब, न्याय नहीं मिलना है । मगर न्याय में जल्दबादी का अर्थ न्याय को दफनाना भी है । ज्ञानी लोगों का कहना है - न्याय की चक्की धीरे-धीरे पीसती है, मगर पीसती है तो बहुत बारीक..।

यह कोई मनगढ़त कहानी नहीं बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायमूर्ति श्री जसपाल सिंह द्वारा 11 मई, 1994 को सुनाये एक फैसले का अनुवाद है । 1977 में दायर एक अपील, जिसका फैसला होने (करने) में लगभग सत्रह साल का समय लगा । सत्रह साल का समय कोई 'अनहोनी' यह 'आश्चर्यजनक' बात नहीं । ऐसा 'न्यायिक विलम्ब' प्रायः हो जाता है । विलम्ब के एक नहीं, अनेक कारण हैं । कानूनन कई आधुनिक कलम जैसे की पोष्को जैसे कलमें दर्ज की गई है । फिर भी यौन शोषण की घटनाओ में ज्यादा कोई फर्क नही पडा है । निर्भया जैसे अनेक महिलाएँ यौन शोषण का सिकार बनती रहती है ।

संदर्भः

1. कन्या भ्रूणहत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, प्रकाश निरायण नाटाणी, बुक एनक्लेव, जयपुर ।

2. भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएँ, डो. सुलोचना श्रीहरी देशपांडे, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर ।

3. महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा और कन्या भ्रूणहत्या, प्रकाश नारायण नाटाणी, बुक पब्लिकेशन, जयपुर ।

4. www.googlesearch voilensagentswomans